



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

D-1

प्रपत्र पी-26(बी)
(देखिये नियम 153 ए)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- कुन्हाड़ी
पटवार हल्का :- सकतपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- सकतपुर
तहसील :- लाडपुरा
जिला :- कोटा

सम्बत :- 2070 - 2073
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 141
खाता संख्या पुराना :- 164

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

राजस्थान-आवासन मण्डल
कोटा।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
378	1.7700	गै.मु.आबादी	1.7700	0.00		
380	2.1600	गै.मु.आबादी	2.1600	0.00		
381	0.6600	गै.मु.आबादी	0.6600	0.00		
382	0.0200	गै.मु. चाह	0.0200	0.00		
383	1.2300	गै.मु.आबादी	1.2300	0.00		
386	2.6400	गै.मु.आबादी	2.6400	0.00		
387	2.3000	गै.मु.आबादी	2.3000	0.00		
कुल	7	10.7800	10.7800	0.00		
खसरे -						

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 13/07/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 10/12/2015



423
15312

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

6726
14/3/12

क्रमांक:-अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2011-12/ 1529

दिनांक: 6-3-12

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-कोटा,
राजस्थान आवासन मण्डल,
कोटा।

विषय :- कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा में ग्रुप हाऊसिंग की प्लानिंग बाबत।

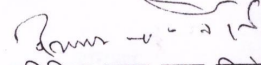
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रस्तावानुसार कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा में ग्रुप हाऊसिंग की प्लानिंग का प्रस्ताव मण्डल की 131 वीं परियोजना समिति की बैठक दिनांक 09.02.12 (एजेण्डा बिन्दु संख्या-24) में लिया गया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत हो गई है।

समिति के एजेण्डा निर्णय व मानचित्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 131 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 131 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 9.02.2012 को सांय 4:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल के मण्डल कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | श्री परसराम मोरदिया
अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन कुमार गोयल
आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | सदस्य |
| 3. | श्रीमती इन्द्रा चौधरी
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर।
(प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक)
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्री के.सी. भीणा,
मुख्य अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री एच.एस. शर्मा
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 6. | श्री ए.के. अग्रवाल
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 7. | श्री आर.के. भट्ट
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 8. | श्री अरुण चतुर्वेदी
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य-सचिव |

समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा बैठक के एजेण्डा पर चर्चा कर निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा नं 1	परियोजना समिति की 130 वीं बैठक दिनांक 20.10.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	परियोजना समिति की 130 वीं बैठक दिनांक 20.10.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।
एजेण्डा नं 2	परियोजना समिति की 130 वीं बैठक दिनांक 20.10.2011 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	परियोजना समिति की 130 वीं बैठक दिनांक 20.10.2011 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।
एजेण्डा नं 3 प्रस्ताव	द्वारकादास पथ मानसरोवर योजना के मानचित्र में आंशिक संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् कार्यांतर स्वीकृति का निर्णय किया गया।
एजेण्डा नं 4 प्रस्ताव	मानसरोवर योजना के सेक्टर-4 में किरण पथ एवं वरुण पथ के मध्य स्थित 3375 वर्ग मीटर (JMRC) को आवंटित भूमि में आंशिक संशोधन बाबत।
निर्णय	कार्यांतर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय किया गया।
एजेण्डा नं 5 प्रस्ताव	राज आंगन योजना, प्रताप नगर, सांगानेर के मुआवजे में विचाराधीन प्रकरणों में खातेदारों को प्रस्तावित विकसित भूखण्डों का नियोजन एवं भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् योजना में परिवर्तन तथा भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यांतर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय किया गया।
एजेण्डा नं 6 प्रस्ताव	इन्दिरा गांधी नगर सेक्टर-13 में दो पुलों व नाले के एलाइनमेंट के सम्बन्ध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 7 प्रस्ताव	सेक्टर-13, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में व्यावसायिक स्थल की प्लानिंग अनुमोदन हेतु।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना योजना स्वीकृत की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की इन्द्रा गांधी नगर में अग्नि शमन केन्द्र का प्रावधान किया जावे।
एजेण्डा नं 8 प्रस्ताव	सेक्टर - 2, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में श्मशान हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय से श्मशान हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
एजेण्डा नं 9 प्रस्ताव	दोसा शहर के खान भाकरी रोड़ आवासीय योजना फेज प्रथम में वाणिज्यिक भूमि की प्लानिंग अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय किया गया कि प्रकरण की अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
एजेण्डा नं 10 प्रस्ताव	सेक्टर-16, चौपासनी आवासीय योजना में स्थित व्यवसायिक केन्द्र के मानचित्र में आंशिक संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् योजना स्वीकृत की गई।

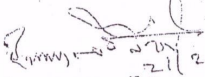
एजेण्डा नं 11 प्रस्ताव	चौपासनी आवासीय योजना जाधपुर के सेक्टर-17 ई तथा सेक्टर 23 में सी-एस हेतु आरक्षित भूमि की प्लानिंग के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 12 प्रस्ताव	चौपासनी आवासीय योजना जाधपुर-मे उद्यान अपार्टनेन्ट में HIG (S+9) फ्लैटों की Re-planning के सम्बन्ध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि योजना में बेसमेन्ट का प्रावधान भी रखा जावे।
एजेण्डा नं 13 प्रस्ताव	दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर में H.I.G./M.I.G.-B डूप्लेक्स आवासों की रिप्लानिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया की ग्रुप हाऊसिंग की भूमि पर डूप्लेक्स आवास क्यों प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इसकी पुनः जाँच कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
एजेण्डा नं 14 प्रस्ताव	साविना खेडा द्वितीय (खसरा नं.172) उदयपुर की में भूमि की प्लानिंग बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 15 प्रस्ताव	गोविन्द नगर आवासीय योजना राजसमन्द के ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्राइमरी स्कूल का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 16 प्रस्ताव	सैंती सेगवा योजना चित्तौड़गढ़ Ph II एवं III के ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 17 प्रस्ताव	राजस्थान आवासन मण्डल की सेती (सिंगवा रोड फेज-प्रथम) चित्तौड़गढ़ में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु भूमि आवंटन बाबत ले-आउट प्लान में भूमि परिवर्तन बाबत।
निर्णय	प्रकरण की कार्यक्षेत्र स्वीकृति प्रदान की गई।
एजेण्डा नं 18 प्रस्ताव	अटलनगर आवासीय योजना, निम्बाहेड़ा में उपलब्ध भूमि पर आवासों की Revised Planning करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 19 प्रस्ताव	बांसवाड़ा आवासीय योजना में G+2 आवासों की प्लानिंग करने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 20 प्रस्ताव	आकरा भट्टा आबू रोड योजना में व्यावसायिक भूखण्ड की प्लानिंग के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 21 प्रस्ताव	हनुमानगढ़ आवासीय योजना में एम.आई.जी.-ऐ. (6.00X15.00) मीटर भूखण्डों/आवासों की जगह एम.आई.जी.-बी. (8.00X15.00) मीटर भूखण्डों/आवासों की रिप्लानिंग करवाने बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 22 प्रस्ताव	N.E.B. Extension Scheme, Alwar योजना में वाणिज्यिक भूखण्ड की प्लानिंग अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।

एजेण्डा नं 23 प्रस्ताव	एन0ई0बी0विस्तार योजना अलवर योजना में अल्प आय वर्ग में (जी+2) आवासों की प्लानिंग बाबत ।
निर्णय	प्रकरण की कवायत रवीकृति का अनुमोदन किया गया। परन्तु अल्प आय वर्ग में (G+2) आवासों के स्थान पर अल्प आय वर्ग में (G+3) की स्वीकृति दी गई।
एजेण्डा नं 24 प्रस्ताव	कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा में ग्रुप हाऊसिंग की प्लानिंग बाबत ।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना स्वीकृत की गई।
एजेण्डा नं 25 प्रस्ताव	प्रताप नगर योजना के सेक्टर 11, जोन 113 में व्यावसायिक भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने के संबंध में।
निर्णय	प्रस्ताव पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया।
एजेण्डा नं 26 प्रस्ताव	मण्डल की प्रताप नगर योजना के सेक्टर-26 में Group Housing (S+10) की योजना के अनुमोदनार्थ।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया तथा प्रशनगत भूखण्ड के पास में स्थित 1036 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड का Group Housing आवासीय से व्यवसायिक करने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 27 प्रस्ताव	चौपासनी आवासीय योजना के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल हेतु सेक्टर-15 में अतिरिक्त भूमि आवंटन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भू-उपयोग आवासीय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि स्थल पर आ रही पी.एच.ई. विभाग की पाईप लाईन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावे।
एजेण्डा नं 28 प्रस्ताव	सेक्टर-5, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में शापिंग सेन्टर की प्लानिंग के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित व्यवसायिक भू-खण्ड के आधे भाग की प्लानिंग का अनुमोदन किया गया।

अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

एजेण्डा नं 29 प्रस्ताव	N.E.B. Extension अलवर योजना में L.I.G. (G+2) तथा MIG-I (G+2) प्लेटस के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित प्रस्ताव में L.I.G. (G+2) के स्थान पर L.I.G. (G+3) तथा MIG-I (G+2) के स्थान पर MIG-I (G+3) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।


21/2/12

(अरुण चतुर्वेदी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य-सचिव